

राजस्थान सरकार

निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाएँ, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: ई-20 / म0स्वा0कार्य0 / (एस-370) / 2019 /

दिनांक:-

आदेश

श्रीमती सुषमा खींची, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता, अधीन खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी सालावास, जोधपुर को उनकी स्वयं की प्रार्थना पर दिनांक 16.11.2007 से 17.02.2009 तक कुल 460 दिवस का अवैतनिक अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

(मुकुल शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ

राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: ई-20 / म0स्वा0कार्य0 / (एस-370) / 2019 / 1048

दिनांक:- 5-7-019

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जोधपुर।
2. खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, सालावास, जोधपुर।
3. प्रभारी, सर्वर रूम, मुख्यालय को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
4. सम्बन्धित कर्मचारी को द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
5. आदेश / रक्षित पत्रावली।

(मुकुल शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ

राजस्थान, जयपुर.